कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 260 बिलासपुर, दिनांक 19.01.2023

प्रति

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– Diversion of forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980 for Rehabilition & Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road, area 10.465 ha. – regarding पंजीयन क्रमांक :–FP/CG/Road/43587/2019

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–844/ 3024 दिनांक 27.12.2022 एवं वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ का पत्र क्र./माचि./91, दिनांक 07.01.2023

———0———

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कुल क्षेत्र 10.465 हे. वनभूमि का गैर–वानिकी उपयोग हेतु आनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/Road/43587/2019 आबंटित किया गया है। प्रकरण में में 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है –

क्र.	कमियां	उत्तर
1	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 01 में आवेदित वनक्षेत्र के विवरण में धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम गवारघुटरी के कक्ष क्र. 355पी. के रकबा 0.311 हे. को आवेदित दर्शाया गया है जबकि प्रस्ताव के पृ.क्र. 02 में उपरोक्त आवेदित रकबा 0.311हे. को ग्राम गवारघुटरी का भाग दर्शाया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वनक्षेत्र के विवरण में धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम गवारघुटरी के कक्ष क्र. 355पी. रकबा 0.311 हे. एवं प्रस्ताव के पृ.क्र. 02 में भी ग्राम गवारघुटरी के कक्ष क्र. 355पी. के रकबा 0.311 हे. दर्शित है। अतः अंतर नहीं है। Annexure 1
2	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 32 में आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी के परिधि में लेमरू हाथी रिजर्व की उपस्थिति दर्शायी गई है किन्तु हाथियों के संरक्षण तथा आवागमन हेतु नियमानुसार प्रधान वनसंरक्षक वन्यप्राणी की टीप/अभिमत नहीं लिया गया है। इसके विपरित प्रस्ताव के पृ.क्र. 315 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा यह लेख किया गया है कि	वनमण्डलाधिकारी के पत्र क्र./मा.चि./88 दिनांक 17.01.2023 द्वारा अभिमत/टीप दिया गया है जिसके अनुसार वन्यप्राणी योजना की आवश्यकता नही है, वन्यपाणियों के आवागमन हेतु उचित व्यवस्था करने हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा लेख किया गया है। Annexure 2

	प्रभावित क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधि में किसी भी प्रकार का वन्यप्राणी प्रभावित नहीं हो रहा है। इस कारण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यप्राणी की टीप/अभिमत की आवश्यकता नहीं है कृपया वन्यप्राणी/ हाथियों के संरक्षण तथा आवागमन की व्यस्था सहित नियमानुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) की टीप/अभिमत प्राप्त कर प्रेषित करें।	

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्र./तक./ 261 /बिलासपुर, दिनांक 19.01.2023

प्रतिलिपि :—

1. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.)की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर